राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 2(1)ग्रावि/ग्रुप-3/नरेगा/06 जयपुर, दिनांक : 01-05-09
5

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुदृढीकरण बाबत।
संदर्भः- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 02.04.09

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुदृढीकरण की दृष्टि से ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर मनोनीत करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों के तहत यदि समस्त पंचायत समितियों में ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर नहीं लग पाते हैं तो निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः-

1. जिन पंचायत समिति मुख्यालयों पर सहायक कलेक्टर का पद हो उनमें सहायक कलेक्टर को ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर मनोनीत कर दिया जावे।
2. उसके उपरांत भी यदि पंचायत समिति हेतु कोई आर.ए.एस अधिकारी ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर बनाने हेतु उपलब्ध न हो, वहाँ पंचायत समिति मुख्यालय के तहसीलदार को ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर मनोनीत कर दिया जावे।

ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार ही लागू होंगे।

भवदीय,

(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित हैः-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

D:\Rishi\MS Word File\III FASE DISTRICT.doc